



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072020-220523
CG-DL-E-15072020-220523

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2059]
No. 2059]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2020/ आषाढ़ 23, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2020/ASADHA 23, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2020

का. आ. 2333(अ).— सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तमिलनाडु राज्य में नेचुरल गैस परिवहन के लिए इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एन्नोर— तिरुवल्लूर – बेंगलुरु – पुदुचेरी – नागपट्टिनम – मदुरै – टूटिकोरिन पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एस पी मधुसूदनन, सक्षम प्राधिकारी, भूमि

अर्जन अधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन परियोजना, प्लॉट सं-14, जयप्रकाश स्ट्रीट, वी. जी. पी नगर, राजाजिपुरम, तिरुवल्लुर, तमिलनाडु - 602001 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची							
राज्य : तमिलनाडु							
जिला	तालुका	गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं.- खण्ड सं.	उप खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टेर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
तिरुवल्लूर	ऊथुक्कोट्टै	86. मदुरवासल	188	1	00	01	35
			77	1	00	01	40
तिरुवल्लूर	पोन्नैरी	68. आरनि	426	3ए	00	01	15
			426	3बी	00	02	15
तिरुवल्लूर	गुम्मिडिपूंडि	46. सिरुपुहलपेट्टै-II (गुरुवराज कंडिगै)	1023	9	00	05	55
कांचीपुरम	उत्तिरमेरूर	116. किलक्काडी	172	1बी	00	21	10

[फा.सं. एल-14014/36/20-20जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2020

S. O. 2333(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that, for the transportation of Natural Gas in the State of Tamil Nadu, “Ennore- Thiruvallur -Bengaluru -Puducherry - Nagapattinam –Madurai- Tuticorin pipeline” should be laid by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri S.P.Madhusudhanan, Competent Authority, Land Acquisition Officer Indian Oil Corporation Limited, Pipeline Projects, Plot No.14, Jayaprakash Street, V.G.P. Nagar, Rajajipuram, Tiruvallur, Tamil Nadu – 602 001.

SCHEDULE							
State : Tamil Nadu							
District	Taluk	Name of the Village	Survey No.	Sub Division No.	Area		
					Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6	7	8
Thiruvallur	Uthukkottai	86.Maduravasal	188	1	00	01	35
			77	1	00	01	40
Thiruvallur	Ponneri	68.Arani	426	3A	00	01	15
			426	3B	00	02	15
Thiruvallur	Gummidipoondi	46.Sirupuzhalpettai-II (Guruvaraja Kandigai)	1023	9	00	05	55
Kancheepuram	Uthiramerur	116..Kilakkadi	172	1B	00	21	10

[F. No. L-14014/36/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under. Secy.